...इस्तगासा के तथ्यों को ... गैरसायलान द्वारा सार्वजनिक रूप से गंदगी फैलाई जा रही है उक्त लोक उपताप का शमन किया जावे।

मुस्तगीसगण के अभिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में कथित किया गया कि गैरसायलान द्वारा काफ़ी मात्रा में गाय रखी हुई है। जो आम गली में गंदगी फैलाती है वातावरण दूषित हो जाता है जिससे डेंगू व मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का अंदेशा है। रास्ता भी अवरूद्ध हो जाता है। गैरसायलान द्वारा कारित न्यूसेंस हटाया जाने के आदेश फरमाये जावें।

समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया धारा 133 (1) (ख) में उपबंधित किया गया है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किस माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिये हनिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिबद्ध या विनियमित की जानी चाहिये या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिये या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिये।

उक्त उपबन्धों के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सिद्ध होता है के गैर सायलान द्वारा वार्ड नः 19 गली नः 1 व 2 ब्रह्म कॉलोनी श्रीगंगानगर में काफी संख्या में पशु रखे हुए है जिन्हें खुला छोड़ दिया जाता है जिससे गलियां अवरूद्ध हो जाती है, गंदगी फैलती है तथा आने–जाने का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है जिससे लोकउपताप उत्पन्न होता है। साक्ष्य के आधार पर इस्तगासा के तथ्य प्रमाणित होते है गैरसायलान द्वारा तामील के बावजूद उपस्थित होकर अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक आदेश दिनांक 10.01.14 को absolute किया जाता है। व उक्तानुसार कारित न्यूसेंस हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति तामील की रीति से गैरसायलान को प्रेषित की जाये कि गैर सायलान 15 दिवस में उनके द्वारा कारित न्यूसेंस को हटायें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

वीरेन्द्र कुमार वर्मा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
श्रीगंगानगर

/कटारिया/

D:\rajesh\Genral Letters\5

इन गायों–पशुओं की वजह से गली न० 2 पूर्णतः बन्द हो चुकी है वहाँ से मोहल्लावासियों का निकलना मुश्किल हो रखा है ...

1/14.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

A2/7

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर।

इजलास :– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

वर्ष :– 2014

करण संख्या 1/2014

यर दिनांक 09.01.14

ट

ाम

ुंशी खान पुत्र श्री अलायार खान जाति मुसलमान नि0 वार्ड नं0 19 गली नम्बर 1 व 2 ब्रहम कालोनी श्री गंगानगर

फलखी खान पुत्र श्री अलायार खान जाति मुसलमान नि0 वार्ड नं0 19 गली नम्बर 1 व 2 ब्रहम कालोनी श्री गंगानगर

मलकी खान पुत्र श्री अलायार खान मुसलमान नि0 वार्ड नं0 19 गली नम्बर 1 व 2 ब्रहम कालोनी श्री गंगानगर

<u>अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रकिया संहिता</u>

परिथतः–

सहायक लोक अभियोजक, जरिये स्टेट

श्री राज कुमार नागपाल एडवोकेट

<u>निर्णय</u> दिनांक 17/5/17

तथ्य इस प्रकार से हैं कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली श्री गंगानगर द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता बाद जांच पेश किया गया कि निवासीगण ब्रहम कालोनी द्वारा परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थीगण गली नम्बर 01 व 02 में करीब 150–200 पशु रखते हैं जिनको खुला छोड रखा है इन पशुओं की वजह से गली नम्बर 2 पूर्णतः बन्द हो चुकी है वहां से मोहल्लावासियों का निकलना मुश्किल हो रखा है। पशुओं के गोबर व पेशाब से गन्दगी फैल रही है व पशुओं के गोबर से नालियां बन्द हो चुकी हैं व मोहल्ला में स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा रहा है। बाद समायत सलुक कानूनी फरमाया जावे।

इस्तगासा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान के विरूद्ध 133 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 10.01.14 को प्रारम्भिक आदेश जारी किया गया। रसायलान बावजूद तामील दिनांक 03.02.14 नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लिया गया अभियोजन पक्ष की ओर गवाहान ए.डबल्यु. 1 से 8, कमशः नंदलाल, दर्शन सिंह, कुलदीप सिंह, राजेन्द्र सिंह, महावीर प्रसाद, प्रभजोत सिंह, सौदागर सिंह, ऋषभ गर्ग, के बयान स्वरूप शपथ–पत्र पेश किये गये। उक्त गवाहान का अपने बयानों में कथन है कि उनके घर की गली में गैरसायलान 150–200 पशु रखते है तथा पशुओं को खुला छोड़ देते है जो गली में बैठ जाते है व कीचड़ पेशाब करके गंदगी फैलाते है जिसकी वजह से मौहल्लेवासियों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो रखा है पशुओं की वजह से मौहल्ले में मच्छर मक्खी व गंदगी फैल रही है। जिससे बीमारियां फैल सकती है। गवाह ए0डब्लयु 09 मोहर सिंह द्वारा इस्तागासा के तथ्यों की ताईद की गई।

D:\rajesh\Genral Letters\4

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
श्रीगंगानगर